सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
एय रइंडिया साट्स एयरफ्रीट टर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300.

लोक सूचना / PUBLIC NOTICE. NO.36/2020-दिनांक DATED:30.06.2020

दस्तावेज पहचान सं /DIN: 20200672MP00009Q9B43

विषय: कागज रहित सीमा शुल्क - सीमा शुल्क ब्रोकर्स / निर्यातकर्ताओं को लदान बिल एवं गैट पास के पी.डी.एफ आधार प्रतियां का इलेक्ट्रानिक सूचना के संबंध में ।

Sub: - Paperless Customs – Electronic Communication of PDF Based copies of Shipping Bill & e-Gatepass to Custom Brokers/Exporters –Reg.

****

सभी निर्याकर्ता ,आयात कर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स सामन्य व्यापार एवं सभी फणधारियों का ध्यान कागज रहित सीमा शुल्क - सीमा शुल्क ब्रोकर्स / निर्यातकर्ताओं को लदान बिल एवं गैट पास के पी.डी.एफ आधार प्रतियां का इलेक्ट्रानिक सूचना के संबंध में ,बोर्ड के दिनांक 22.6.2020 के परिपत्र सं 30/2020 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

The attention of the Exporters, Importers, Customs Brokers, General Trade and all other stakeholders is invited to Board's Circular No.30/2020-Customs dated 22.06.2020, regarding Paperless Customs – Electronic Communication of PDF Based Copies of Shipping Bill & eGatepass to Customs Brokers/Exporters.

2. सीधा संपर्क रहित, संबंध रहित , कागज रहित सीमा शुल्क को उन्नयन करने के निरंतर प्रयास में यह निर्णय लिया गया कि और सेवा केंद्र से अधिक मात्र में प्रिंटआउट लेने के कार्य को दूर करने या सीमा शुल्क भवन में बहुखाय डाकेटस के रखरखाव को हटाने की उद्देश्य से लदान बिल के डिजिटल प्रतियों पर

निर्भर करें । यह सुधार व्यापर के लिए समय एवं अनुपालन संबंधी लागत के बचत में अधिकतम लाभ प्रदान करेगा एवं जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक दस्तावेज की प्रामाणिकता एवं मान्यता के सत्यापन के लिए उच्चतम सुरक्षा उपाय प्रदान करके सुकुर रूप से व्यापर करने की सुविधा प्रदान करता है।

In its continuing effort to promote 'Faceless, Contactless, Paperless Customs', it has been decided to rely upon digital copies of the Shipping Bill and do away with the requirement of taking bulky printouts from the Service Centre or maintenance of voluminous physical dockets in the Custom Houses. This reform will yield immense benefits in terms of saving the time and cost of compliance for the trade, thereby enhancing the ease of doing business, while providing enhanced security features for verification of authenticity and validity of the electronic document.

3. बोर्ड यह निदेश देता है कि दिनांक 22.6.2020 से अंतिम एल.ई.ओ सहित होनेवाले लदान बिल ही निर्यातकर्ताओं को इलेक्ट्रानिकली भेजा जाएगा और निर्यातकर्ता के लिए उक्त दस्तावेजों की प्रतियों को प्रिंट करने एवं सीमा शुल्क भवन में डाकेट का रख रखाव करना आदि वर्तमान प्रथा बंद होगा । यह सुधार दिनांक 15.4.2020 से शुरु किये गए लदान बिल एवं गेट पास की डिजिटल पी.डी.एफ आउट आफॅ चार्ज(ओ.ओ.सी) प्रति एवं चेन्नै एवं बेंगलूरु में प्रारंभ किये गए बिना सीधी संपर्कवाली निर्धारण के लिए पूरक होगा ।

Board directs that w.e.f. 22.06.2020 only the digital copy of the Shipping Bill bearing the Final LEO would be electronically transmitted to the exporter and the present practice of printing copies of the said document for the exporters and also for maintaining a docket in the Customs House would stand discontinued. This reform complements the introduction of a digital pdf Outof-Charge (OOC) copy of the Bill of Entry and Gatepass w.e.f. 15.04.2020 and launch of the 1 st Phase of Faceless Assessment at Chennai and Bengaluru w.e.f. 08.06.2020.

4. अंतिम एल.ई.ओ सहित लदान बिल एवं गेट पास की प्रतियों की सुरक्षित इलेक्ट्रानिक पारेषण की विशिष्ट लक्षण दिनांक 22.6.2020 के उक्त बोर्ड के परिपत्र में अंकित किया गया है ।

The significant features of the secure electronic communication of the Final LEO copy of the Shipping Bill and the Gatepass copy of Shipping Bill are mentioned in the aforesaid Board Circular No-30/2020-Customs dated 22.06.2020.

5. इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो वह श्री निर्मल जॉय, उप आयुक्त, (तकनीकी) को उनके ई मेल - courier-bacc@gov.in. द्वारा सूचित किया जा सकता है ।

Difficulties, if any, may be brought to the notice of Shri. Nirmal Joy, Deputy Commissioner (Tech), E-mail- courier-bacc@gov.in.

अशोक
30/06/2020.

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल संC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है/ Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

.प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क बेंगलूरु, बेंगलूरु अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) 2) फेडरेशन आफ कर्नाटका, चेंबर ऑफ कामर्स, सं9996 , कैंपेगौडा रोड, गॉधीनगर, बेंगलूरु
   Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3) बेंगलूरु सीमा शुल्क बोकार्स एजेंट संगटन, सं71., कार्गो विल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association,No.71, Cargo Village, B Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru.
4) सभी एयर लाईन्स उनके संगठन के तहत/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहला तल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबा रोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export

Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

6) सभी संरक्षकों / All Custodians
7) बेंगलूरु सीमा शुल्क वेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचना पट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरु सेप्रचलित सभी कोरियर एजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियर संगठ्न द्वारा/ through Courier Association)

9. मास्टर फाईल /Master file.